न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावर (दौसा)

मुकदमा नंबर 28/2024 (विविध)

1. किशोरीलाल पुत्र सोनपाल
2. प्रभूदयाल पुत्र शिवलाल
3. शिवचरण पुत्र शिवलाल

जातियान मीना निवासी उकरूंद तहसील मण्डावर जिला दौसा

—प्रार्थीगण—

बनाम

तहसीलदार तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.)

—अप्रार्थी—

प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी
धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 16.07.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गोपालगढ तहसील मण्डावर की आराजी खसरा नम्बर 221 रकबा 0.18 है0 व खसरा नम्बर 72 रकबा 1.36 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर में प्रार्थीगण खातेदार कश्तकार काबिज आराजी है। उक्त आराजी की डोल मेढ करने में आस पडौसी बिना किसी वजह के व्यवधान करते रहते है तथा गिरोह बनाकर उनकी आराजी को हडपना चाहते है। इस हेतु प्रार्थी ने केई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आने को कहा इससे पूर्व प्रार्थीगण ने अपनी आराजी को पैमाईश तहसीलदार मण्डावर से आदेश करवाकर पटवारी हल्का से दिनांक 20.06.2022 को करवा ली है। जिस पर पटवारी हल्का रायपुर द्वारा पैमाइश की गयी थी । इसक कारण उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जानें के आदेश फरमाने हेतु श्रीमान जी के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 221 रकबा 0.18 है0 व खसरा नम्बर 72 रकबा 1.36 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर वाके ग्राम गोपालगढ तहसील मण्डावर की जिला दौसा का जरिये प्रशासन तहसीलदार मण्डावर एवं थानाधिकारी थाना मण्डावर की उपस्थिति में सीमाज्ञान एवं निशानात कायम किये जाकर पत्थर गढी करवाये जाने तथा पत्थरगढी में आने वाली किसी भी अवरोध को हटाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब जरिये रजिस्टर्ड एडी किया गया। रजिस्टर्ड एडी रसीद पेश की गई। अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर उपस्थित नहीं हुये ना ही उनके सरकार पैरोकार उपस्थित हुए। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। हमने प्रार्थी के वकील की बहस सुनी जिसका मनन किया । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी ग्राम गोपालगढ तहसील मण्डावर जिला दौसा में संवत 2072–2075 जमाबंदी 2077 में आराजी खसरा नम्बर 221 रकबा 0.18 है0 व खसरा नम्बर 72 रकबा 1.36 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी की डोल मेढ करने में आस पडौसी बिना किसी वजह के व्यवधान करते रहते है तथा गिरोह बनाकर उनकी आराजी को हडपना चाहते है। इसलिये प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान से पत्थरगढी किया जाना न्याय की दृष्टि से उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज.भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम गोपालगढ तहसील मण्डावर जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 221 रकबा 0.18 है0 व खसरा नम्बर 72 रकबा 1.36 हैक्टयर कुल किता 2कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार मण्डावर द्वारा टीम गठित की जावे एवं सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी उभय पक्ष की उपस्थिति में पैमाईश करवाकर की जावे तथा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने से पूर्व खातेदारो को दिनांक व समय बाबत् नोटिस दिया जाकर सूचित किया जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे तथा पर्चा तैयार किया जाकर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित करें तथा उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये जावें। तहसीलदार मण्डावर को आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.7.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलाश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) राज.

Scanned with CamScanner